न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 29/2025
दायरी दिनांक 20.03.2025
कुसुम देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी सुमापचन्द सोनी जाति सुनार निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू हाल निवासी आडका बास रोड, वार्ड न. 10 डीडवाना जिला नागौर (राज)

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)– अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 17.04.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 194 के वर्तमान खसरा नम्बर 347 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.73 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है।यह कि प्रार्थना पत्र की धारा में वर्णित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीया के पिता मोहनलाल का स्वर्गवास हुवा तब प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारीयों की गलती व भूल से प्रार्थीया का नाम कुसुम देवी पुत्री मोहनालाल की जगह कौशल्या पुत्री मोहनालाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कुसुम देरी पुत्री मोहन है। प्रार्थीया की माता का स्वर्गवास होने पर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का सही नाम कुसुम देवी पुत्री मोहनलाल दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम कौशल्या पुत्री मोहनालाल की जगह सही नाम कुसुम देवी पुत्री मोहनलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है।प्रार्थी अपने नाम से केसीसी लोन लेने के लिए राजस्व रिकार्डकी नकल दिनांक 26/02/2025 को ली तो प्रार्थीया को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थीया अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है। वाद कारण दिनांक 26/02/2025 को प्रार्थीया द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे प्रार्थी का नाम कौशल्या पुत्री मोहनालाल की जगह सही नाम कुसुम देवी पुत्री मोहनलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम मौजास के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 194 में प्रार्थीया का नाम कुसुम देवी पुत्री

मोहनलाल दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थीया का नाम कौशल्या के स्थान पर कुसुम देवी किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम भीमसर के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 194 में प्रार्थी का नाम कौशल्या पुत्री मोहनलाल दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के का वास्तविक नाम कुसुम देवी पुत्री मोहनलाल है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम भीमसर के खाता संख्या 194 में दर्ज कौशल्या पुत्री मोहनलाल के स्थान पर कुसुम देवी पुत्री मोहनलाल कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा